न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06/2021
प्रविष्टि दिनांक 29.11.2021
निर्णय दिनांक 15.12.2021

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक टोंक

..... सायल

बनाम

श्री मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद शरीफ जाति मुंसलमान मेवाती निवासी भण्डार खाने की गली ताल कटोरा टोंक थाना कोतवाली जिला टोंक

..... गैर सायल

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (3)राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :–1–अभियोजन अधिकारी, राजकीय पेरोकार
2– गैर सायल

निर्णय

दिनांक 15.12.2021

पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान मेवाती निवासी भण्डार खाने की गली ताल कटोरा टोंक थाना कोतवाली जिला टोंक के विरूद्व यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृति में लीन है, अतः गैर सायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बनी रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन की गई। गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया गैर सायल द्वारा आरोपों से इन्कार किया तथा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार कर सीधे बहस सुनने हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस में निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्व न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए है। गैर सायल के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरूद्व अभियोग कमशः 58/2018 दिनांक 09.02.2018,251/2018 दिनांक 07.07.2018,91/2020 दिनांक 20.02.2020 व 336/2020 दिनांक 10.10.2020 13 आरपीजीओ आदि थाना कोतवाली टोंक, जिला टोंक को उक्त धाराओ के तहत चालान न्यायालय [illegible] णो मे न्यायालय द्वारा गैर सायल को सजा सुनाई गई है। अभियोजन अधि[illegible] दिया कि उक्त अभियोग जुआ–सट्टा आदि से संबंधित है। गैर [illegible] से समाज के लोंगो

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:04:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

पर काफी बुरा असर पड रहा है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किया जावें।

गैर सायल ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणो में आरोप लगाये गये है वह केवल 13 आरपीजीओ के है न कि किसी बडे अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के है तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में प्रार्थी मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणो का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3 (3) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरूद्व उक्त प्रकरण जुआ–सट्टा आदि से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर सायल जुआ–सट्टा खेलने का आदी है इस कारण समाज के लोगो पर निश्चित रूप से बुरा असर पड रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल अपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर सायल मोहम्मद नईम पुत्र मोहम्मद शरीफ जाति मुसलमान मेवाती निवासी भण्डार खाने की गली ताल कटोरा टोंक थाना कोतवाली जिला टोंक को दिनांक 15.01.2022 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना कोतवाली जिला टोंक से पुलिस थाना निवाई जिला टोंक के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधो की पुनरावृति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना निवाई जिला टोंक के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला टोंक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फैसले की प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.12.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:04:07 IST
Reason: SelfAttested